भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2598
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: उर्वरकों में मिलावट

2598. श्री राहुल कस्वां:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार संपूर्ण देश में किसानों को बेचे जा रहे उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों में मिलावट के बढ़ते मामलों से अवगत है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में दर्ज किए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और कृषि उत्पादकता तथा किसानों की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार का मिलावटी कृषि आदानों और खाद्य पदार्थों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी जागरूकता और परीक्षण अभियान शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): उर्वरक, बीज और कीटनाशकों की अच्छी गुणवत्ता की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985, कीटनाशक अधिनियम, 1968, बीज अधिनियम, 1966 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 को लागू कर रही है। पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2022-23 से 2024-25) के दौरान 5,27,814 उर्वरक के नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें से 28,303 नमूने नकली पाए गए। इसी प्रकार, पिछले तीन वर्षों के दौरान 5,97,859 बीज नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें से 43,001 बीज नमूने अमानक पाए गए। कीटनाशकों के मामले में 2,21,253 नमूनों का परीक्षण किया गया और 5,723 नमूने नकली ब्रांड के पाए गए।

भारत सरकार ने राज्यों को उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को सही समय पर, सही जगह पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना है। सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराती है। यह सुनिश्चित करना राज्यों की ज़िम्मेदारी है कि किसानों को सही जगह और ज़रूरत के अनुसार पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध हों।

सरकार उर्वरक के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा की जा रही प्रवर्तन कार्रवाई की नियमित निगरानी कर रही है। अप्रैल, 2025 से 25 जुलाई, 2025 की अवधि के दौरान, देश भर में कई छापे मारे गए हैं, जिनमें 5,302 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए 2,172 लाइसेंस निलंबित/रद्द किए गए और 170 चूककर्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई।

*****